डिस्कलेमर

आदेश संख्या 41/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- VIII (खंड फाइल)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 41/2022-23

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 22 मार्च, 2023

विषय : मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2023 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था

यह नीचे तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित हवाईअड्डों के संबंध में मौजूदा टैरिफ 31.03.2023 के बाद भी वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था को बढ़ाने के संबंध में है:-

तालिका –I

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1	लखनऊ इंटरनरेशल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल)	लखनऊ
2	जयपुर इंटरनरेशल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
3	गुवाहाटी इंटरनरेशल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
4	टीआरवी (केरल) इंटरनरेशल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
5	कन्नूर इंटरनरेशल एयरपोर्ट लिमिटेड (केआईएएल)	कन्नूर
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	श्रीनगर
7		पटना
8		भुवनेश्वर
9	गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)*	मोपा, गोवा
10	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)	शिर्डी

* टैरिफ दरें आदेश संख्या 19/2022-23 के अनुसार लागू हैं।

2. प्राधिकरण को लखनऊ, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम एवं कन्नूर के संबंध में एमवाइटीपी पहले ही प्राप्त हो गया है और वर्तमान में टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया जारी/चालू है।

(i) अन्य प्रमुख हवाईअड्डों अर्थात जयपुर, गुवाहाटी, पटना और भुवनेश्वर के संबंध में एमवाईटीपी प्रतीक्षित है।

(ii) शिर्डी हवाईअड्डे के संबंध में मोका ने दिनांक 01.11.2021 की अधिसूचना द्वारा इसे प्रमुख हवाईअड्डा घोषित किया है। इस घोषणा से पहले डीजीसीए ने 01.10.2020 से 31.03.2025 तक गैर प्रमुख हवाईअड्डों (शिर्डी सहित) पर लगाए जाने वाले वैमानिक प्रभार के लिए दिनांक 25.09.2020 की एआईसी संख्या 34/2020 जारी की थी। वर्तमान में शिर्डी हवाईअड्डे पर वैमानिक प्रभार दिनांक 25.09.2020 की एआईसी संख्या 34/2020 के अनुसार लिए जा रहे हैं।

(vi) यह ध्यान में रखते हुए कि टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, प्राधिकरण ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:

क. क्रमांक 1 से 9 के लिए 31.03.2023 के अनुसार लागू मौजूदा टैरिफ 01.04.2023 से 30.09.2023 तक छः (6) माह की अगली अवधि या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

ख. क्रमांक 10 के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ दिनांक 25.09.2020 की एआईसी संख्या 34/2020 के अनुसार 01.04.2023 से 30.09.203 तक के लिए या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) **हवाईअड्डा प्रचालकों,** (उपर्युक्त तालिका –I के क्रमांक 1 से 9 में सूचीबद्ध) को 31.03.2023 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.04.2023 से 30.09.2023 तक** या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) को शिर्डी हवाईअड्डे पर टैरिफ की वसूली दिनांक 25.09.2020 की एआईसी संख्या 34/2020 के अनुसार 01.04.2023 से 30.09.2023 तक या संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) जयपुर, गुवाहाटी, पटना और भुनेश्वर हवाई अड्डों के हवाईअड्डा प्रचालकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भी जयपुर और गुवाहाटी हवाईअड्डों के लिए ट्रू-अप शीघ्रातिशीघ्र सीओडी तक प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

1. अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2. श्री मनोज चांदुका, उपाध्यक्ष (विनियामक मामले)
अदानी कॉरपोरेट हाऊस,
शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्किल के निकट, एस.जी. हाईवे,
कोडियार, अहमदाबाद-382421

3. श्री जयकृष्ण एस,
मुख्य वित्तीय अधिकारी,
कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
कारा पेरावुर, पोस्ट ऑफिस, मट्टानुर,
कन्नुर -670702

4. श्री मंगेश ए कुलकर्णी,
अधीक्षक अभियंता (मुख्यालय),
महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड,
8वां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
क्यूफे परेड, मुम्बई-400005

5. श्री आर.वी. शेषन,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
मोपा, गोवा

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. नागर विमानन महानिदेशालय – एआईसी जारी करने के लिए